केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00005
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00492
अपीलकर्ता श्री मोहम्मद आशिफ कुरैशी

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.11.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.12.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल CPIO, (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.12.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	07.01.2025
निर्णय की तारीख	07.02.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.11.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"We are submitted against RRB Bilaspur at CIC delhi dated of 23.09.2024 received letter as on page No. 1 please explain what action should be taken on my complaint letter case No. CIC/AB/A/2016/001439 – AB."

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 12.12.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"It is informed that your letter dated 23.09.2024 has not received in CIC. Only one letter received in CIC dated 25.11.2021 Diary No. 150631/2021 and File No. CIC/SBIND/A/2021/150631 which has been already disposed."

3. प्रथम अपील का आधार

"हमने जो केस दर्ज किये थे वह दिनांक 2309.2024 (By hand submit) को हमने खुद जाकर जमा किया था और उसकी कॉपी भी साथ लेकर आये थे वह हम इस पत्र के साथ संल्गन कर रहे है। जिसकी डायरी नंबर 465473 है वो रेलवे (RBI Bilaspur) बिलासपुर के विरुद्ध की थी। जिसका रिसीव letter P.No. 2 में संल्गन किया गया है। एस.बी.आय. (SBI) और (Railway) का कोई संबंध नहीं है रेलवे (Railway) का जो केस है वह (Hon'ble High Court Judicature at Bombay Bench at Nagpur) माननीय हाईकोर्ट नागपुर ने (Section 20 RTI 2005) सेक्शन 20 आर.टी.आई. 2005 के जरिए दिनांक 22.08.2024 को आर्डर पारित हुआ था पेज P.No 3 संलग्न किया गया है।

जो सी.आई.सी. ने आर्डर दिया था वह दिनांक 29.08.2017 को P. No. 4 में संल्गन किया गाया है। वही भी इस पत्र के साथ संल्गन कर रहे है। (Hon'ble High Court Judicature at Bombay Bench at Nagpur) माननीय हाईकोर्ट नागपुर ने (Section 20 RTI 2005) सेक्शन 20 के आर.टी आई 2005 के जरिये जो प्रकाश डाला है। उस केस के प्रोसेस कहा तक पहुंची। कृपया इस केस पर प्रकाश डालकर हमारी परेशानी दूर करने का प्रयास करें।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00492 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (Dak Section) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00492 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक :07.02.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (Dak Section) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

C. I. C. /के. सू. आ.
RECEIVED
07 FEB 2025
Date ....
Initials ....